भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

भय और रोजगार मंत्रालय

बिस्मुखना

नई दिल्ली, 21 मई, 2018

का.का. 2011(ख.)—केंद्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि खींचन, 1952 के पारा 39 के साथ पटित पारा 30 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रत्यक्ष अधिकारों का प्रयोग करते हुए और भारत के राज्य, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), भारत के भय और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का आ. 827(ख.), तारिख 15 मार्च, 2017 की, उन बातों के निवारण अधिकार करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण में पूर्व किया गया है या करने का नीति किया गया है, केंद्रीय वोर्ड के परामर्श करने के पश्चात्, कर्मचारी भविष्य निधि के सामान्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध समाधानों को ध्यान में रखते हुए नियोजक द्वारा उक्त खींचन के पारा 30 और पारा 38 के उप पारा (१) के प्रयोजनों के लिए तारिख 1 जून, 2018 में संदेह प्रशासनिक प्रभारों को प्रथम क्रृतिक्रिया स्थापित, जिसका कोई अंतर्निहित सदस्य नहीं है, के लिए प्रतिमान के लिए चिह्नित रूपए की न्यूनतम राशि और अन्य स्थायी नियमों के लिए प्रतिस्थापन पांच सौ रूपए प्रतिमान की न्यूनतम राशि के अधीन रहते हुए, वित्त के 0.50 प्रतिशत (भूत्य दशमलव पत्ताम नियम प्रतिशत) जैसा कि उक्त पाराओं में निर्दिष्ट किया गया है, नियाम करती है।

2. शंकाओं को दूर करने के लिए, यह अधिसूचना किया जाता है कि इस अधिसूचना में अंतर्निहित किसी बात का 31 मई, 2018, उस तारीख की सम्मिलित करते हुए, उस अधिकार द्वारा निर्दिष्ट अंतर्निहित अधिसूचना उसी तरह लागू रहेगी मानों उसका अधिक्रमण नहीं किया गया था।

[का.का. 35012/01/2014-एसएस-II]

आर, के.एप्स, संयुक्त सचिव

2793 GI/2018
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2018

S.O. 2011(E).—In exercise of the powers conferred by the Explanation to paragraph 30 read with paragraph 39 of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) vide number S.O. 827(E), dated the 15th March, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after consulting the Central Board and having regard to the resources of the Employees' Provident Fund available for meeting its normal administrative expenses, hereby fixes the administrative charges payable by the employer for the purposes of paragraph 30 and sub-paragraph (1) of paragraph 38 of the said Scheme with effect from 1st June, 2018 at 0.50 per cent (zero point five zero per cent.) of the pay as referred to in the said paragraphs subject to a minimum sum of seventy-five rupees per month for every non-functional establishment having no contributory member and five hundred rupees per month per establishment for other establishments.

2. For the removal of doubts, it is hereby notified that nothing contained in this notification shall affect the administrative charges payable in respect of the period up to and inclusive of the 31st May, 2018 in respect of which the notification referred to in paragraph 1 herein shall continue to apply as if the same had not been superseded.

[F. No. S-35012/01/2014-SS-II]

R. K. GUPTA, Jt. Secy.